भारतीय रिजर्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, गुवाहाटी

मणि ने खोया अपना पैसा

श्री मणि, गुवाहाटी में रहने वाला एक छोटा से व्यापारी की दुनिया आज कंपित लग रही है। एक समझदार व्यापारी, वित्तीय निवेश के बारे में पूरी जानकारी न होने के कारण आज ठगा सा महसुस कर रहा है।

अपनी मेहनत से कमाये धन का ध्यान रखें।

लगभग एक साल पहले उसने दस लाख रूपये (जो अपनी बेटी के विवाह के लिए अलग रखें थे) एक नई कंपनी जो कि किसी भी बैंक से ज्यादा ब्याज दे रही थी, में जमा किये। जब वह उस कंपनी में गया था तो उस का एक राजा के समान किया गया और मैनेजर ने उस का व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखा था। उस कंपनी ने उसे एक पड़ोसी कंपनी जैसा व्यावहार का आश्वासन भी दिया था। वह अपने पैसे की तेज वृद्धि की आशा से इतना उत्साहित हो गया कि उसने सारे पैसे इस कंपनी में जमा कर दिये। पर आज, उस का शिवास टूट गया है। आज जब एक वर्ष बाद वह कंपनी के आफिस में अपने पैसे वापिस लेने के लिये आया, तो उसे आश्चर्य हुआ कि कंपनी ने अपना कार्यलय, उसे बिना कोई सूचना दिये, वहा से हटा दिया है। बहुत दोड़-घूम और पूछताछ के बाद वह उस परिसर के मालिक से संपर्क कर पाया, तो उसने बताया कि वह कंपनी, जिसे उसने वह जगह किराये पर दी थी, अब वहाँ से चली गई है। पर वह कहाँ गई?

वह आज अपने को ठगा महसूर कर रहा है, और इस उधेड़सुन में है कि अब क्या करें। क्या उस के सारे पैसे खो गये? वह कई बार अखबार में पढ़ता था कि कुछ लोग अपना पैसा अंजान कंपनी के पास रख कर धोखा खा जाते हैं। उसे विश्वास था कि ऐसा उस के साथ नहीं हो सकता, क्योकि वह तो बहुत समझदार हैं। परंतु आज।

उस दिन शाम को वह अपने मित्र श्री शर्मा के पास गया। श्री शर्मा, भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यरत है। श्रीमणि का विचार था कि किसी भी कंपनी के पास जमा की गई राशि भरतीय रिजर्व बैंक (भा॰ रि॰ बै॰) द्वारा आश्वासित है, अत: वह श्री शर्मा से यह जानता था कि वह भा॰ रि॰ बै॰ के पास कैसे शिकायत दर्ज करे। श्री मणि ने पूरा किस्सा श्री शर्मा को बताया और अपना पैसा वापस पाने के बारे में उन से सलाह मांगी।

श्री शर्मा: मणि मुझे आपकी इस हानि के बारे में सुन कर बहुत खेद है। मैं अकसर आपको कहता था किंतु बात सुनते ही कहाँ थे। अब मुझे बतायों कि क्या आपने पुलिस में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी?
श्री मणि : पुलिस में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट क्यों? मैं तो तुरंत भा॰ रि॰ बै॰ में शिकायत दर्ज करूंगा।
श्री शर्मा : मणि जी सबसे पहले आपको पुलिस को शिकायत करनी है क्योकि आप के साथ धोखाधड़ी हुई है।
श्री मणि : भा॰ रि॰ बै॰ और के पास?

श्री शर्मा : भा॰ रि॰ बै॰ केवल उन कंपनी का पर्यवक्षण करता है जो गेर-बैंकिग तिप्तीय कंपनी (गैबैंविक) के रूप में उसके पास पंजीकृत होती है।

श्री मणि : क्षमा करें भा॰ रि॰ बै॰ के पास 'पंजीकृत कंपनी' से क्या आशय है? क्या सब प्रकार की जमा राशि का भा॰ रि॰ बै॰ बीमा नहीं करता है? मुझे तो मेरा पैसा भा॰ रि॰ बै॰ से वापिस मिलना चाहिए।

भा॰ रि॰ बैं॰, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां को बारत में ऋणों, किराया-खरीद, इत्यादि काम करने के लिए पंजीकृत करता हैं

श्री शर्मा : मणि जी, कृपया इस बात को समझे कि किसी भी कंपनी के पास जमा राशि का भा॰ रि॰ बै॰ बीमा नहीं करता है। एक अलग संस्था, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (निबीप्रगानि) एक सीमा तक बैंकों के पास जमा राशि का बीमा करता है। बैंकों से पृथक संस्थाओं के पास जमा राशि का बीमा नहीं होता है। भा॰ रि॰ बै॰ के पास पंजीकृत गैबैंविक, निबीग्रानि की योजना के अंतर्गत नहीं आती है।

श्री मणि : पर कोई भी (कंपनी) जो जमा राशि लेती है, वह तो बैंक हुई ना?

श्री शर्मा : नहीं, मैं आप को समझाता हूँ। विभिन्न प्रकार की संस्थायें, जनता से जमा राशि लेती है। इन में एक है बैंक तथा वाणिज्यिक और सहकारी बैंक। इस के अतिरिक्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (गैबैंविंक) जिन्हे जमा राशि लेने, ऋण देने सेयरों एवं प्रतिभूतियों (सेक्योरिटिज) मे निवेश करने, इत्यादि काम करने से पहले भा॰ रि॰ बै॰ से आवश्यक रूप से पंजीकरण लेना होता है। इन में से अधिकतर कंपनियों को जनता से जमा साशि लेने की अनुमति नही होती है। ऐसी जमा की गई राशि का बीमा नहीं होता है।

सभी गैबैंविक जो भा॰ रि॰ बैं॰ के पास पंजीकृत है, उनको जमा राशि लेने की अनुमति नहीं है। साथ ही गैबैविक के पास जमा की गयी राशि का बीमा नहीं होता हैं।

श्री मणि : ओह! मुझे तो यह पता ही नहीं था, यह कंपनी जिस के पास मैं गया था क्या पंजीकृत गैबैंविक थी? मुझे यह बात कैसे पता लगेगी?

श्री शर्मा: क्या उस कंपनी के मैनेजर ने आपको कोई रसीद दी थी?

श्री मणि : हाँ, हाँ।

श्री शर्मा : इस रसीद में मेसर्स राजेश और कंपनी (जिसे ब्रेकेट में फर्म कहा गया है) लिखा है आपने हस्ताक्षर करते समय क्या इसे देखा था?

श्री मणि : हाँ मैने मेसर्स राजेस और कंपनी देखा था पर यह 'पर्म' क्या होता है?

श्री शर्मा : 'फर्म' का अर्थ है अनिगमित संस्था। विभिन्न प्रकार के संस्थागत डांचों में कंपनी रजिस्टार के पास कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कंपनी पंजीकृत होता है, इसलिये उन्हे निर्गमित कंपनी कहते है। फर्म, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत नही होती। यह दो प्रकार की हो सकती है, प्रोप्रईटर शिप (जिसका स्वामी एक ब्यक्ति हो) अथवा साझेदारी संस्था (जिसे एक से अधिक साझेदार मिल कर बना सकते हैं।)

सहकारी समिति, राज्य संहकारी समिति अधिनियम या केंद्रीय रजिस्टर सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होती हैं।

श्री मणि : ओह! मैं तो सोच रहा था कि ये दोनो एक होती है! तो क्या फिर पब्लिक और प्राइवेत लिमिटेड कंपनी मैं भी अंतर होता हैं?

श्री शर्मा : निजी कंपनी (प्राइवट कंपनी) वह होती है जिन के शेयर अन्तरण पर प्रतिबंध होता है, सदस्यता पचास सदस्यों तक सीमित होती है और पब्लिक से जमा राशि लेने पर प्रतिबंध होता है। इन कंपनी में पब्लिक स्वामित्न नहीं होता है। पब्लिक कंपनी निजी कंपनी से अलग है। इस की न्यून्यतम चुकता पूंजी पाँच लाख रूपये होनी चाहिए। किसी पब्लिक कंपनी का यदि कोई गौड या सहायक निजी कंपनी के रूप में हो तो उसे भी पब्लिक कंपनी के रूप में माना जाता हैं। पब्लिक कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो सकती हैं अथवा नहीं।

फर्म और कंपनी अलग होते हैं।

श्री मणि : पब्लिक स्वामित्व से आप का क्या तात्पर्य है?

श्री शर्मा : पब्लिक स्वामित्व का अर्थ है कि वह कंपनी पब्लिक, अर्थात आप और मुझे अपने शेयर आबंटित करती है। यह आबंटन प्राइवट पलेसमेंट (यानी के कुछ चुने हुये लोगो को) या पब्लिक आफर (यानी कि शेयरों का आबंटन ..... शकों को पब्लिक प्रस्ताव) द्वारा होता है। यदि शेयर का आबंटन जाहिर सूचना महीता है तो वे शेयर बाजार में लेनदेन के लिक सूचीबद्ध होते हैं।

श्री मणि : इस सब से कंपनी में पैसा जमा करने वाले लोगों पर क्या असर पड़ता है?

श्री शर्मा : यदि पैसा जमा करने वाले लोगों को संस्था की हैसियत के बारे में मालूम हो और उस कंपनी के उपर लागू कानूनी सीमायें भी ज्ञात हों तो वे सोच समझ कर निर्णय ले सकते हैं। जैसे कि यदि आप को पता होता कि मेसर्स राजेश और कंपनी एक फर्म है, और वह साझेदारों के रिश्तेदार के अलावा किसी और से जमा नहीं ले सकती है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ऐप वहाँ पैसा नहीं जमा करते। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, निजी कंपनी को जनता से जमा राशि लेने की अनुमति नही होती है। यहा तक कि जो सार्वजनिक कंपनी वित्तीय संस्था का काम नहीं करती हैं, वे अपने चुकता पूंजी और आरक्षित पूंजी के पच्चीस प्रतिशतै से ज्यादा जमा राशि नहीं ले सकती हैं। जिस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (गैबैंविंक) को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र में जमा राशि लेने की अनुमति है, केवल वे ही जमा राशि ले सकती हैं और वह भी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न गैबैंविंक के लिये निर्धारित सीमा में ही।

इस तरह से कंपनी के स्तर/रूप के बारे में जानने से जमाकर्ता को फर्क पड़ता है। जमा करनेवाले को कंपनी के चुकता पूंजी या आरक्षित पूंजी या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उन पर लागु सीमा की जानकारी न हो, तो वह जमा करने के पूर्व कंपनी से सुचना ले या सवाल पूछै सकता है।

श्री मणि : हम लिमिटेड कंपनी के बारे में भी सुनते है। वे क्या होता हैं ?

श्री शर्मा : लिमिटेड कंपनी वे होती हैं जिनके शेयर धारक की कंपनी के ऋण के प्रति जिम्मेदारी केवल उन की शेयर धारण तक ही सीमित होती है। इस का अर्थ है कि कंपनी के ऋण चुकता करने के लिये उनकी निजी संपत्ती का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

श्री मणि : ओह! यानि कि अलग-अलग तरह के संस्थायें और अलग - अलग नियंत्रणक भी है। तो गैबेंविंक कंपनी क्या होती है ?

भा रि बैं के साथ कंपनी की पंजीयन जाँच लें।

श्री शर्मा : हाँ, जैसा के मैने पहले भी बताया, गैबैंविंक (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ) वे वित्तीय संस्थाये हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण पाने के बार ऋण देने, किराया खरीद, पटटा देने, शेयर में निवेश इत्यादि कार्य कर सकती हैं।

श्री मणि : क्या वे जमा राशि भी ले सकती हैं ?

श्री शर्मा : हां, अगर भरतीय रिजर्व बैंक ने उन्हें इसकी अनुमति दी हो, तो।

श्री मणि : क आम आदमी को इस के बारे में कैसे पता चल सकता है ?

श्री शर्मा : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये पंजीकरम प्रमाण पत्र में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई होती हैं। कंपनी को पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्राप्त अपने दफतर में प्रदर्शित करनी होती है। जिन कंपनियों को जमा राशि लेने की अनुमति है उन सब की सूची भारतीय रिजर्व बैंक के वेबसाइट पर अलग से दो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक इन में से किसी भी कंपनी द्वारा लिये गये पैसे का बीमा नहीं करता, न ही इन की वित्तीय स्थिति या उनके द्वारा दिये गये किसी विवरण या बात को प्रमाणित करता है।

श्री मणि : श्री शर्मा, क्या यह मेसर्स राजेश और कंपनी, भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत थी ? क्या उन को जमा राशि लेने की अनुमति थी ? उन्होंने मुझे बीस प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का वायदा किया था। इतना अच्छा ब्याज (रिटर्न) देने वाली कंपनी उच्छी कंपनी ही ही होगी ना ?

श्री शर्मा : मेसर्स राजेश और कंपनी, जैसा कि आपकी रसीद में लिखा है, 'पर्म' एक है, और भारतीय रिजर्व बैंक, फर्म का पंजीकरण नहीं करता है। उन को न तो जमा राशि लेने की अनुमति है, न ही वे जमा राशि जुटाने के लिये विज्ञापन दे सकते है। आगे, जैसा कि आपने कहा कि वे आप को बीस प्रतिशत ब्याज देने वाले थे, मैं आप को यह स्पष्ट कर दूँ कि, भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत कंपनी 12.5% वार्षिक से ज्यादा ब्याज नहीं दे सकती है।

श्री मणि : पर शर्मा जी, पंजीकरण के बिना यह कंपनी कैसे जमा राशि ले सकती है ?

श्री शर्मा : हाँ, यह नियमो का उल्लंघन है। भारतीय रिजर्व बैंक इसीलिये तो विज्ञापन के द्वारा जनता को आगाह करती रहती है कि किसी भी प्रकार के निवेश या राशि जमा करने से पहले, संबधित कंपनी की पूरी तरह जाँच पड़ताल कर लें। अव आप ही देख लें, थोड़े से ज्यादा ब्याज के आकर्षण में, आपने एक ऐसी फर्म में पैसे जमा किए जो अब गायब हो गई है। आप यह बी ध्यान में रखें कि, आपको 20% मुनाफा देने के लिये कंपनी को उस से भी ज्यादा फायदा अर्जित करना पड़ेगा जो कि वह केवल ज्यादा जोखिम वाले कार्य द्वारा ही शायद कर सके। इस से आप का निवेश भी सुरक्षित नहीं होता है।

श्री मणि : अब मुझे मेरी गलती का अहसास हो गया है। अब मैं अपना पैसा वापस पाने के लिये क्या कर

सकता हूँ?

श्री शर्मा : मैं अब आप को या किसी भी अन्य निवेशकर्ता के पास क्या विकल्प है, बताता हूँ। जैसे कि आपने एक 'पर्म...' पास पैसे जमा किया है, आप पुलिस के 'वित्तीय अपराध शाखा' के पास शिकायत दर्ज करायें। उन के पास असम राज्य के जमाकर्ताओं के हित के लिए असम की (बित्तीय स्थापना) अधिनियम के तरह इस मामले पर कार्य करने का अधिकार है। अगर इस विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक को शिकायत करेंगे तो बैंक भी इसे वित्तीय अपराध शाखा (वि॰ आ॰ शा॰) को आगे की कारवाई के लिये भेज देगी।

श्री मणि : फिर मुझे मेरा पैसा वापस मिल जायेगा?

श्री शर्मा : पहले वि॰ आ॰ शा॰ इस की जाँच करेगी और उस कंपनी के मालिक की खोज करेगी जिसे आप ने पैसे दिये थे।

श्री मणि : तो आप का मतलब है कि यदि कोई भी कंपनी किसी के पैसे नहीं लौटाती है तो, वि॰ आ॰ शा॰ उस मामले की जाँच करेगी?

श्री शर्मा : कुछ अन्य भी रास्ते है। यदि कोई गैबैंविकं जमा राशि नहीं लौटती, तब जमा कर्ता कंपनी कानून बोर्ड (कं॰ क॰ बै) के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। विभिन्न कं॰ क॰ बै का पता, गैबैंविक द्वारा दिये गये जमा राशि फार्म में दिया होता है। ये पते भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों एवं उसकी वेबसाइट पर भी दिये गे हैं। आप साथ ही साथ जिला उपभोक्ता फोरम को भी शिकायत कर सकते हैं या कंपनी के विरूद्ध न्यायालय में सिविल मुकदमा भी दायर कर सकते हैं।

श्री मणि : काश मैने आप से यह सब पैसे जमा करने से पहले पूछी होगी। मुझ से गलती हो गई। इन सब के अलावा भविष्य में मुझे और किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए?

रसीद ले और कंपनी की पृष्टभूमि को जाँच लें।

श्री शर्मा : सबसे पहले किसी भी कंपनी की पृष्ठभूमि के बारे में जान लेना जरूरी है। याद रहे, कि जब आप किसी गैर-बैकिंग वित्तीय कंपनी के पास पैसे जमा कर रहे है तो आपको उस के पंजीकरण स्तर के बारे मैं, या वह कंपनी कितना जमा राशि जनता से ले सकती है, या उस के अनुपालन अधिकारी का पता क्या है, इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। पैसा जमा करते समय ध्यान से जमा राशि प्रारूप को पढ़े। जमा राशि के लिये रसीद लें तथा रसीद पर कंपनी का भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत होने का स्तर, ब्यज दर, जमा राशि की पूर्ण होने पर देय तिथि, इत्यादि को भी जाँच ले। इस के अतिरिक्त अधिक जानकारी, आमतौर पर रसीद के पीछे छपी होती है, उसे राशि जमा करने से पहले ध्यान पूर्वक पढ़ लैं। कुछ कंपनी 'उधार - पत्र' जारी करने के लिए भी पैसे लेती है। अधिक जानकारी के लिये आप भारतीय रिजर्व बैंक के वेबसाईट (http://www.rbi.org.in) पर प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्ने को भी देख लें।

श्री मणि : परंतु शर्मा जी, अगर मैं इतने सारे सवाल पूछने लगुँगा तो वह कंपनी मुझसे जमा राशि ही नहीं लेगी।

श्री शर्मा : नहीं मणि जी, कोई बी अच्छी कंपनी आपको सभी सूचना देने से संकोच नहीं करेगी। अगर आप को लगता है कि कोई कंपनी आप को पूर्ण सूचना नहीं दे रही है, तो आप के मन में संदेह उठना चाहिए तथा

आप को पैसा जमा करने में सावधानी बरतनी चाहिए।

श्री मणि: यह उधार - पत्र क्या होता है?

श्री शर्मा : उधार - पत्र, लंबे समय के ऋण के लिये कंपनी द्वारा जारी की गयी प्रतिभूति होती है। इन पर कंपनी एक पूर्व निर्धारित दर पर या समय-समय पर बदलने वाले दर पर ब्याज दे सकती है।

श्री मणि : क्या यो जमा - राशि के समान होते हैं?

श्री शर्मा : नहीं, ये जमा - राशि की श्रेणी में नहीं आते है। उधर - पत्र 'सुरक्षित' हो सकते है जब कंपनी अपनी किसी संपती को उन को देयता के लिये उस पर प्रभार अंकित करती है। अन्यथा वे असुरक्षित श्रेणी में आते हा।

श्री मणि : क्या अलग-अलग कंपनियों के पास, अलग अलग रूप में पैसे रखने सुरक्षित है? कितने सारे अलग-अलग नियंत्रणक हैं?

श्री शर्मा : मणि जी, अलग-अलग नियंत्रणक को विभिन्न नियमों के तहत अलग अधिकार या भूमिकायें दी गई हैं। वे सब जनता को जानकारी प्रदान करते रहते हैं। आप को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि आप सारी राशि पूँजी एक जगह न निवेश करें।

श्री मणि : मैं आप की बात समझ रहा हूँ। मुझे सावधानी से काम लेना चाहिये था। अब पहले मैं जाकर पुलिस को शिकायत दर्ज करता हूँ। धन्यवाद।

कभी भी सारी राशि को एक जगह न लगायें।

(दो महिने बाद.....)

श्री मणि : शर्मा जी मैं आपको एक अच्छी सूचना देने के लिये आया हूँ। जैसा कि आप ने बताया था, मैने पुलिस तथा ग्राहक सुरक्षा फोरम में शिकायत दर्ज करी। पुलिस ने उस दोषी को पकड़ा और उस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हम सब जमाकर्ताओं नें वैसे मैं अलेका ही उन के झूठे वायदों में नहीं फँसा था, मुझ जैसे और भी लोग है, पुलिस के पास दबाव डाला और अब पुलि ने उस के मालिक की संपत्ति जब्त कर ली है जिससे कि हम हमारी जमा राशि वापस मिल जाय।

श्री शर्मा : मेरी शुभकामनाये आपके साथ हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप आगै अपने धन के बारे में सावधानी बरतेगें।

श्री मणि : हाँ, हाँ। यह ही नहीं, मैं अपने आस पड़ोस के लोगो को भी इस बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ।

स्वत्व त्याग : सभी पात्र व घटनाये काल्पनिक हैं। किसी भी व्यक्ति या घटना के साथ समानता संयोग वश हैं।

Printed at : Baroda Printers, Ph. 94350 12012